न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/36/2025	2025/79	25.04.2025	08.07.2025

1. भूपेन्द्र पुत्र श्री बलराम पौत्र श्री बदले पडपौत्र श्री श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।

——प्रार्थी

बनाम

1. बलराम पुत्र बदले जाति जाट निवासी ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
2. मोरध्वज पुत्र बदले जाति जाट निवासी ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।
3. बीरम पुत्र बदले जाति जाट निवासी ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।
4. ताराचन्द पुत्र बदले जाति जाट निवासी ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।
5. ज्ञानसिंह पुत्र बदले जाति जाट निवासी ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।
6. नरेन्द्र पुत्र दीपचन्द जाति जाट निवासी ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।
7. उप पंजीयक, रामगढ जिला अलवर राजस्थान।
8. उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर राजस्थान।

——असल अप्रार्थीगण

9. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राजस्थान।

— तकमीली अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—

01—श्री पवन सिंह चौहान —वकील प्रार्थी

02—श्री ओमानन्द चौधरी —वकील अप्रार्थीगण

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के प्रकरण बउनवान भूपेन्द्र बनाम बलराम वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मु0 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुकदमा बअनुवान भूपेन्द्र वादी (बनाम) बलराम एवं अन्य प्रतिवादीगण राजस्व वाद संख्या अर्न्तगत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बमय तकासमा आराजी बमय हुक्म ईम्तनाई दवामी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान में विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.04.2025 नियत हैं।

तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा असल अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की सुविधानुसार उनके व उनके वकील के कहे अनुसार तारीख पेशी नियत की जाती हैं, तथा मिन प्रार्थी के वकील साहब द्वारा निवेदन करने पर भी उनके कहे अनुसार तारीख नियत नही की जाती हैं। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 8 प्रार्थी के वकील साहब पर जल्द से जल्द बहस करने का दबाव दिया जाता हैं, तथा मिन प्रार्थी के वकील साहब की बहस सुने बिना ही प्रकरण को खारिज करने को उतारू हैं। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा उक्त प्रकरण

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

में व्यक्तिगत रूचि रखकर छोटी छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही हैं, और सारे कायदे कानून ताक पर रखकर जल्दबाजी में प्रकरण का निस्तारण करने को उतारू हैं। तथा असल अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 आनन फानन में मुकदमें में कार्यवाही कराना चाहते हैं।

उक्त प्रकरण में तहत अदालत द्वारा दिनांक 26.12.2024, दिनांक 25.02.2025, दिनांक 06.05.2025 की पेशी नियत की गयी, बाद में असल अप्रार्थीगण ने नजदीक तारीख पेशी नियत करने हेतु प्रार्थनापत्र तहत अदालत में पेश किया गया, जिस पर प्रार्थी को बिना विधिवत सूचना दिये, दिनांक 16.04.2025 की पेशी नियत की गई. तत्पश्चात दिनांक 22.04.2025 की पेशी नियत की गई हैं। असल अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 8 पर दबाव बनाया हुआ हैं। तथा तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 8 उनके दबाव व प्रभाव में हैं। उक्त प्रकरण में विगत पेशी पर तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा भरी अदालत में मिन प्रार्थी व उसके वकील साहब से ऐलानिया तौर पर कहा हैं, कि" प्रकरण में तुम्हारा कोई लेना देना नही हैं, जल्द से जल्द बहस करों, अन्यथा आगामी पेशी पर आवश्यक रूप सें प्रकरण का निस्तारण कर दावा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दूँगा। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 8 के कहने से उक्त प्रकरण की पत्रावली हर पेशी पर अन्य प्रकरण की पत्रावलीयों से अलग रखी जाती हैं।

तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा खुले न्यायालय में पूर्व में ही अपने न्याय निर्णय का इजहार कर दिया है तथा असल अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 8 से सांठ गांठ कर ली हैं, असल अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को मिन प्रार्थी ने कई बार तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 8 के चैम्बर में आते जाते व चैम्बर के बाहर बैठे देखा हैं, असल अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 ने भी विगत पेशी पर मिन प्रार्थी से अदालत परिसर व गांव में ऐलानिया तौर पर ऐसा कहा हैं, कि उनकी तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 8 से बातचीत हो गयी हैं, मुकदमा का फैसला उनके पक्ष में होंगा, तथा दावा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कराकर रहेगें। मिन प्रार्थी को पूरा भय व आशंका हैं, कि असल अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 8 को निष्पक्ष न्याय करने में बाधा पैदा कर रहे हैं।

उक्त वर्णित सूरत में न्यायहित में उक्त प्रकरण को तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर राजस्थान से किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना अतिआवश्यक हैं। दौरान विचारण मुकदमा तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 8 से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी तलब कर उनको आगामी कार्यवाही स्थिगित रखने के लिए पाबंद किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं। जिस हेतु नेकनियती से प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र मुन्तकिली मुकदमा अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन हैं, कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा बअनुवान भूपेन्द्र वादी (बनाम) बलराम एवं अन्य प्रतिवादीगण राजस्व वाद संख्या अर्न्तगत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बमय तकासमा आराजी बमय हुक्म ईम्तनाई दवामी विचाराधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर राजस्थान आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.04.2025 को उक्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर से किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल फरमाने की कृपा करें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने लिखित जवाब/बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को हम असल अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा अदालत श्रीमान में दायर करने के लिए कोई वादकारण, बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा नहीं होते हैं। प्रार्थी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

ने दुर्भावनापूर्वक हम असल अप्रार्थीगण को नाहक तंग परेशान करने व मुकदमाबाजी में फंसाकर आर्थिक एवं मानसिक नुकसान कारित करने की मंशा से मिथ्या व बेबुनियाद प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा अदालत श्रीमान में पेश किया हैं। प्रार्थी ने मिथ्या मुकदमेंबाजी करके हम असल अप्रार्थीगण को बेजा नुकसान पंहुचाया हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा मय हर्जा खर्चा विशेष 20,000/– रूपयें सहित खारिज किये जाने योग्य हैं, खारिज फरमाया जावें। प्रार्थी ने किसी स्वतंत्र व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश नही किये हैं। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा पेश करने का कोई आधार नही हैं, मौखिक कथन व कयास के आधार पर प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा पेश नही किया जा सकता हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा में समस्त तथ्य मिथ्या, मनगढन्त दर्ज किये हैं, जो वादकारण पैदा करने व प्रार्थना पत्र की पूर्ति के लिए अंकित किये हैं। हम असल अप्रार्थीगण की तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से कोई जान पहचान नहीं हैं, ना हम उनके बारे में कोई जानकारी रखते हैं, ना हमने पीठासीन अधिकारी से कभी कोई सम्पर्क उनके चैम्बर में जाकर किया हैं, ना तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी हम असल अप्रार्थीगण के बेजा प्रभाव व दबाव में हैं, ना ही हम असल अप्रार्थीगण ने तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी को अपने बेजा प्रभाव व दबाव में ले रखा हैं, ना हम असल अप्रार्थीगण ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से कोई सांठ गांठ की हैं। प्रार्थी ने हम असल अप्रार्थीगण व तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी पर झूठे व निराधार आरोप लगाये हैं। प्रार्थी तहत अदालत से प्रकरण का निस्तारण नही होने देना चाहता है, और मुकदमा को देरीना करने की नियत से प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा पेश किया गया हैं। अन्यथा प्रार्थी को अदालत श्रीमान में प्रार्थना पत्र मुंतकिली मुकदमा पेश करने का कोई हम असल अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई वादकारण पैदा नही होता हैं। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानों के अनुसार सुनवाई की जा रही हैं। प्रार्थी ने मुकदमा को मुन्तकिल किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण साक्ष्य सहित दर्ज नही किया गया हैं, मौखिक अभिवचन की कोई मान्यता नही हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा दुर्भावनापूर्वक पेश किया हैं। कोई नेकनियती नहीं हैं। मुकदमा मुन्तकिल किये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं, मुकदमा को तहत अदालत से किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने से पक्षकारान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में काफी परेशानी होगी, एंव काफी समय लगेगा, तथा अनावश्यक खर्चा व समय लगेगा। जिससे सुलभ, सस्ता एंव त्वरित न्याय प्राप्त होने में विलम्ब होगा। मुकदमा दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने से हम असल अप्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली हानि होगी। प्रार्थी मौजूदा सूरत में कोई अनुतोष पाने का नैतिक एंव विधिक रूप से अधिकारी नही हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा मौजूदा सूरत में पोशनीय न होकर सव्यय खारिज किये जाने योग्य हैं, सव्यय खारिज फरमाया जावें।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि प्रार्थनापत्र मुन्तकिली मुकदमा प्रार्थी हम असल अप्रार्थीगण के खिलाफ मय हर्जा खर्चा विशेष 20,000/– रूपये खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने समर्थन में 2020 आरबीजे पेज 246, 2020 आरबीजे पेज 526, 2020 आरबीजे पेज 529 कानूनी नजीरे संलग्न कर पेश की हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि चरण संख्या 1 में उल्लेखित वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। चरण संख्या 2, 3 व 4 असत्य एवं तथ्यहीन है जो कि अस्वीकार है। उक्त वाद में तारीख पेशी 25.02.2025 से 06.05.2025 नियत की गयी थी। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा नजदीक तारीख पेशी प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2025 को पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र पर वादीगण को नोटिस जारी कर दिनांक 16.04.25 की गयी थी। प्रार्थना पत्र में दिनांक 16.04.2025 से 22.04.25 नियत की गयी थी। दिनांक 22.04.2025 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद की तारीख

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पेशी 22.04.2025 नियत की गयी थी। दिनांक 22.04. 2025 से दिनांक 06.05.2025 नियत की गयी थी। वर्तमान में प्रकरण की आगामी तारीख पेशी 22.05.2025 नियत की गयी है। इस प्रकार प्रकरण में नजदीक तारीख पेशी दिये जाने का आरोप तथ्यहीन है। चरण संख्या 5, 6, 7, 8 असत्य एवं तथ्यहीन है जो कि अस्वीकार है। चरण संख्या 9 श्रीमान की अदालत के श्रवण योग्य है एवं गौर श्रीमान है। चरण संख्या 10, 11, 12, 13 व 14 कानूनी है व गौर श्रीमान है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु वेबुनियाद, मनगढंत, झूठे एवं गलत हैं फिर भी प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर्तिका शुक्ल)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान